सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वां तल पी.सी.एफ. भवन, 32—स्टेशन रोड, लखनऊ—226001

Ph. No.: 0522-2630877, Fax No.:0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 214/सो.आ.नि.—117/2013

दिनाँकः 26 अगस्त, 2013

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः ऑनलाइन केन्द्रीयकृत बैंकिंग के अन्तर्गत जनपद स्तर पर सोशल आडिट व्यय हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में बचत बैंक खाता खोला जाना।

महोदय,

जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के मानदेय एवं नियत यात्रा व्यय, सोशल आडिट टीमों के मानदेय तथा सोशल आडिट से संबंधित अन्य व्ययों कों जिला स्तर पर वहन किए जाने एवं नियमानुसार संबंधित व्यक्तियों को भुगतान करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की दृष्टि से यह विचाराधीन है कि लखनऊ में भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता खोलते हुए ऑनलाइन केन्द्रीयकृत बैंकिंग की व्यवस्था लागू की जाए। शासनादेश संख्या 1823/38—1—2013—3536/2005 दिनाँक 29.7.2013 के अन्तर्गत जिला विकास अधिकारियों को समवितरण का दायित्व जिला विकास अधिकारी द्वारा वहन किया जाना होगा। उक्तवत् ऑनलाइन केन्द्रीयकृत खातों के संचालन हेतु निदेशालय द्वारा अधिकृत किए जाने के लिए संलग्न प्रारूप पर आपके जनपद के जिला विकास अधिकारी के नमूने के हस्ताक्षर, जो आप द्वारा प्रमाणित हो संलग्न प्रारूप पर इस निदेशालय को कृपया स्पीड पोस्ट से भेजने की कृपा करें। परिचालन से संबंधित शीघ्र ही विस्तृत निर्देश भेजे जाएंगे।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

(शंकर सिंह)
निदेशक